

24/02/28

अधिकतम प्राप्ति उपर्युक्त प्राप्ति
अधिकतम को अपर्युक्त सं. 01 की
तकनीक से पूर्व में पत्र अर्थात्
दिये जाते दिनांक 16.01.25 का
आदेश 9 नियम 5 उपर्युक्त के तहत
कार्यवाही करने की दिशा में की गई
थी। परन्तु प्राप्ति अधिकतम
अर्थात् सं. 01 की तकनीक आदि
तकनीक नहीं करवाई है प्राप्ति अर्थात्
दस्तावेज पत्र में आदेश 9 नियम
5 उपर्युक्त के तहत कार्यवाही की जाते
वि. प्रा. पत्र सं. 2023/092
अनुदान के प्रकार व अन्य बातों
दिनांक व अन्य वर्तमान स्तर
पर खासियत किया जाता है परन्तु
में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
है परन्तु वास्तव में प्रमाण के अंतर्गत
कम की जाते भिन्न की रूप में शामिल
है।

